न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 118 / 2021

प्रार्थीनी

1 सुकीदेवी पत्नी सुमेरमल
जाति ओसवाल निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. निर्मला पत्नि दीपचन्दजी जाति ओसवाल
2. महैन्द्रकौर पत्नि गुरूबक्ससिंहजी जाति अरोरा
3. जसवन्तकौर पत्नि दर्शनसिंहजी जाति अरोरा
4. जतिन्दरसिंह पुत्र गुरूबक्ससिंहजी जाति अरोरा
5. जितेन्द्रसिंह पुत्र गुरूबक्ससिंहजी जाति अरोरा
6. परमजीतकौर पुत्री गुरूबक्ससिंहजी जाति अरोरा
7. बेबीकंवर पत्नि छोटूसिंहजी जाति राजपूत
8. अंजुकंवर पत्नि भुपेन्द्रसिंहजी जाति राजपूत
9. छोटुसिंह पुत्र भूरसिंहजी जाति राजपूत
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री पूनमचंद रामदेव प्रार्थीनी अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–18.04.2022

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थी संख्या 01 ता 08 व 10 के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा विप्रार्थी संख्या 09 की ओर से श्री दिलीपसिंह भाटी अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमचंद रामदेव की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2077–2080 सरहद मौजा समदडी पटवार क्षेत्र समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 519 रकबा 0.7446 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा समदडी पटवार क्षेत्र समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 519 रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगी। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **18.04.2022** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद / 2022 / 652 दिनांक :-18.04.22

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

सुकीदेवी निर्मला वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं. 118 / 2021 निर्णय दिनांक :–18.04.2022

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम समदडी पटवार क्षेत्र समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 519 **रकबा 0.7446 हैक्टेयर** की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क रूपये 1000 / –प्रार्थीनी अदा करेंगी।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना समदडी से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

क्रमांकः वाद / 2022 / 653-657 दिनांक : -18.04.22

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार ....समदडी.............
2. थानाधिकारी......समदडी..............
3. हल्का पटवारी, समदडी............ को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ....सुकीदेवी................
5. विप्रार्थी ..निर्मला वगैरा.....................

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना